


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>पु.नं. 37/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज क्रिष्ण सुकुमा- प्राचीन पत्र 14(4) इनवान- सुरेन्द्र सिंह नाम हरिनारायण कोस</p>	<p>नम्बर व तारीख अहं काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>पत्रावली का अवलोकन किया गया प्राचीन द्वारा दिनांक 16-5-22 के प्रस्तुत प्राचीन पत्र का भी अवलोकन किया गया। अधिकता प्राचीन एवं प्राचीन द्वारा विचारणीय प्राचीन पत्र 14(4) को आगे नहीं चलाया जाना अन्त करते हुए नोट प्रथम करने पर इस न्यायालय में किया गया प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र अंतर्गत 14(4) के अन्तर्गत नियम क्रिष्ण सुकुमा आदेश दिनांक 11-4-68 उपमपंचायत होदायली तहसील लालसोट ख.नं. 1 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा स्थित ग्राम भोज्याडा तहसील लालसोट इनवानी सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण व नाम हरिनारायण पुत्र अंमर जाति राणा निवासी होदायली तहसील लालसोट खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली के संतुष्टि की जाकर नम्बर से कम है एवं वाद पूर्ण प्रविष्ट प्रथम अंश की जावे। निर्णय आज दिनांक 17-5-22 को जारी द्वारा सुनाया गया।</p>	<p>अति. जिला कलक्टर दौसा</p>